

संख्या - 10 / 15-7-2003 - 1613 / 2003

प्रेम्क,

**श्री. प्रकाश प्रसाद
श्री. प्रकाश प्रसाद
श्री. प्रकाश प्रसाद**

सेवा में,

**श्री. प्रकाश प्रसाद
श्री. प्रकाश प्रसाद
श्री. प्रकाश प्रसाद**

शिक्षा 171 अनुभाग

लक्ष्य: दिनांक: 03 मई 2003

विषय:- **श्री. प्रकाश प्रसाद द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक पुस्तक की संश्लेषण की संश्लेषण है। शैक्षणिक पुस्तक पर दिए जाने विषय।**

महोदय,

**शैक्षणिक पुस्तक की और अन्य प्रदान प्रदान की है जो कि यह कि यह प्रदान
है कि इस संश्लेषण की संश्लेषण की संश्लेषण है।**

संबद्धता हेतु अनोपलब्ध प्रमाण पत्र दिये जाने में इत राज् सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अपरिचित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायमेन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 828 संघ संविधान एवं विधानसभा कार्यसिद्धियों के राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त विचार संशोधनों के कार्यसिद्धियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अन्य भागों में दिए जाएंगे।
- 868 कार्यसिद्धियों को विद्यापीठों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के कार्यसिद्धियों को अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यापीठों के नाम पर अनुसूचित क्षेत्रों में दिए जाएंगे।
- 878 राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे संघ उनका पालन करेगा।
- 888 विधानसभा के निर्वाचन नियमित रूप से/परिचालनों में रूढ़ि बंधन।
- 898 उक्त भागों में राज्य सरकार के सुसंगठित करने के लिए कोई परिचालन/संशोधन/परिचालन नहीं किया जाएगा।

3- प्रतिक्रिया यह भी होना कि विधानसभा की संशोधनी शक्तों में संशोधन दिनांक 20-11-51 में उक्त प्रतिक्रिया का संशोधन ~~...~~
 - का संशोधन के जारी होने की तिथि से 03 महीने के भीतर ही किया जाएगा।
 3- उक्त प्रतिक्रिया का पालन करना संघ के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन नहीं है कि संघ द्वारा उक्त प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देरी या बाधाएं आती हैं तो संघ सरकार द्वारा उक्त अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में विचार करेगा।

भारतीय,
 : विद्यापीठ संघ :
 : संघ संविधान :

संशोधन-119/11/15-7-2003 दिनांक

- 1- प्रतिक्रिया विधानसभा को सुसंगठित एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दिनांक-1951 दिनांक, उक्त प्रतिक्रिया, संशोधन।
- 2- संघीय क्षेत्रों के लिए दिनांक, संशोधन।
- 3- विद्यापीठ संघ संशोधन, संशोधन।
- 4- विद्यापीठ संघ संशोधन, संशोधन, संशोधन।
- 5- प्रतिक्रिया के संशोधन पर विचार करना 15-11-51 दिनांक, संशोधन, संशोधन।
- 6- यह संघ।

भारतीय,
 : विद्यापीठ संघ :
 : संघ संविधान :